भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3594

10.08.2026 को उत्तर के लिए

आरक्षित वनों में हानिकारक/विदेशी पादप प्रजातियों को हटाना

3594. **प्रो. सौगत रायः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आरक्षित वनों में ऐसी हानिकारक/विदेशी पादप प्रजातियों की पहचान की है, जो देशज जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण तथा जल उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आरक्षित वनों तथा अन्य संरक्षित वन क्षेत्रों में ऐसी आक्रामक प्रजातियों को हटाने तथा देशज वनस्पतियों को पुनः लगाने के लिए कोई कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वन पारिस्थितिकी तंत्र में मृदा आर्द्रता, भूजल पुनर्भरण तथा जल धारण क्षमता में सुधार के लिए देशज/स्थानीय पादप प्रजातियों, घासों, झाड़ियों तथा अन्य पारिस्थितिकीय रूप से उपयुक्त प्रजातियों के रोपण एवं पुनर्जनन को प्रोत्साहित करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत पाँच वर्षों के दौरान आरक्षित वनों में हानिकारक प्रजातियों के प्रबंधन, पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन तथा पनधारा विकास के लिए राज्य-वार कितनी निधि आवंटित एवं व्यय की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके संबंधित संस्थान, हानिकारक विदेशी पादप प्रजातियों (आईएपीएस) की सक्रिय रूप से पहचान और निगरानी करते हैं। हानिकारक प्रजातियों की पहचान के लिए, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा 45 प्रमुख हानिकारक प्रजातियों का एक अलग एल्बम तैयार किया गया है। एफएसआई के अनुसार, आरक्षित वन क्षेत्रों में हानिकारक पादपों की सघन से लेकर मध्यम सघन और विरल उपस्थिति पाई जाती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) ने हानिकारक प्रजातियों की राष्ट्रीय प्रबंधन योजना तैयार करने को सुगम बनाने के लिए

हाल ही में वन और वनेतर क्षेत्रों में फैलने वाली संभावित हानिकारक प्रजातियों की एक व्यापक, राज्य-वार सूची तैयार की है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) को प्रस्तुत की है।

आरक्षित वनों और अन्य संरक्षित वन क्षेत्रों में हानिकारक पादपों की प्रजातियों का प्रबंधन और उन्हें हटाने का कार्य तथा स्वदेशी पौधों की प्रजातियों का संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र और संबंधित एजेंसियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं और अनुमोदित वन तथा वन्यजीव प्रबंधन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

सरकार संधारणीय वन प्रबंधन संबंधी कार्यों के माध्यम से स्वदेशी/स्थानीय वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण, पुनर्जनन और संवर्धन को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अंतर्गत स्थानीय/स्वदेशी प्रजातियों का उपयोग करके वनीकरण और पुनर्जनन के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने, पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनर्बहाल करने और वन/वृक्ष आवरण में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2023 के अंतर्गत हानिकारक प्रजातियों का प्रबंधन, क्षतिग्रस्त वन भू-दृश्यों की पुनर्बहाली, मृदा और नमी संरक्षण संबंधी उपाय, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय पारिस्थितिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनर्जनन और पुनर्बहाली संबंधी कार्यकलापों में स्थान-विशिष्ट स्वदेशी/स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देने सहित पारि-तंत्र आधारित वन प्रबंधन के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये उपाय मृदा की नमी, भूजल पुनर्भरण, जल प्रतिधारण और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्यास्थता में सुधार करने में सहयोग करते हैं।
